सामूहिक याचिका

वन अधिकार क़ानून और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार आधारित शासन के संवैधानिक और वैधानिक ढांचे को सुरक्षित करने बाबत

सेवा में **दिनांक: - 21.08.2025**
श्री विभु नायर
सचिव, जनजातीय मामलों का मंत्रालय (MoTA)
नई दिल्ली

विषय: - जनजातीय मामलों का मंत्रालय (MoTA) द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित ग्राम सभा के प्राधिकार और सामुदायिक वन संसाधन के प्रबंधन और संरक्षण के लोकतांत्रिक शासन ढांचे को नष्ट करना: FRA के संवैधानिक और वैधानिक ढांचे की सुरक्षा के लिए प्राथमिकता हस्तक्षेप की आवश्यकता।

महोदय,
यह पत्र, जनजातीय मामलों का मंत्रालय (MoTA) द्वारा किए गए उन हस्तक्षेपों की श्रृंखला के सन्दर्भ में हैं जो वन अधिकार अधिनियम, 2006 और वन अधिकार नियम 2008 (2012 में संशोधित) के तहत मान्यता प्राप्त और स्थापित सामुदायिक वन संसाधनों के शासन, प्रबंधन और संरक्षण के लोकतांत्रिक ढाँचे को नष्ट कर रहे हैं। नीचे विस्तृत रूप से बताये गए ये सरकारी हस्तक्षेप, ग्राम सभा के संस्थागत अधिकार का उल्लंघन करते हैं क्योंकि ये ग्राम सभा द्वारा किये जाने वाले सामुदायिक वन संसाधन के शासन , प्रबंधन और संरक्षण को एक तकनीकी-नौकरशाही योजना में बदलने की कोशिश करते हैं। ग्राम सभा की शक्तियों और अधिकारों की अवहेलना करते हुए , जनजातीय मंत्रालय के यह हस्तक्षेप एक नए , क़ानून के बाहर के संस्थागत ढाँचे को बढ़ावा देते हैं जो वन विभाग और पर्यावरण मंत्रालय के हाथों में शक्तियों को समेकित व् केंद्रित करता है। नीचे उल्लेखित यह हस्तक्षेप पूर्ण रूप से वन अधिकार अधिनियम 2006 (FRA) के मूल उद्देश्य के विपरीत हैं।

1. MoTA द्वारा सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत उपयोग के लिए २०२३ में जारी किये गए दिशानिर्देश

12.09.2023 को, मंत्रालय ने 23 अप्रैल 2015 को जारी अपने सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन दिशानिर्देशों को निरस्त करते हुए इस सम्बन्ध में नए दिशा निर्देश जारी किये। (***संलग्न 1***) मालूम हो कि वन अधिकार क़ानून की धारा 12 के तहत एक वैधानिक निर्देश के रूप में जारी किये गए 2015 के CFR दिशा निर्देश ग्राम सभा को स्वतंत्र और स्वायत्त रूप से CFR योजना को विकसित करने, सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र में निर्णय लेने और उस निर्णय को लागू करने का अधिकार देता है। (***संलग्न 2***) । FRA के तहत वन, जैव विविधता और सामुदायिक वन संसाधन के शासन , प्रबंधन और संरक्षण का आधार ही एक लोकतांत्रिक, गैर-केंद्रीकृत, सामुदायिक शासन के विचारधारा पर आधारित है, जो अधिकारों कि पहचान और मान्यता पर स्थापित है और जिसे ग्राम सभा के संस्थागत ढाँचे के माध्यम से वास्तविकता में लाया जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 2015 के दिशानिर्देश सीएफआर को स्पष्ट रूप से वनों की एक नई श्रेणी के रूप में स्थापित किया जिसे सीएफआर के रूप में दर्ज किया जाना था, साथ ही सीएफआर क्षेत्र को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए (धारा 3 (1) (i), धारा (5) और सीएफआर संरक्षण और प्रबंधन योजना के लिए अपना स्वयं का सरल प्रारूप विकसित करने के लिए ग्राम सभा के प्राधिकार को स्थापित किया। 2015 के दिशानिर्देशों ने सीएफआर प्रबंधन योजनाओं के साथ इसे एकीकृत करने के लिए वन विभाग की योजनाओं को संशोधित करने के लिए ग्राम सभा के अधिकार को भी स्पष्ट किया, कि सीएफआर के विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा ग्राम सभाओं को ट्राइबल सब प्लान, मनरेगा , वानिकी निधि, केम्पा आदि के तहत धन का हस्तांतरण उपलब्ध है और राज्य सरकारें सीएफआर के विकास के लिए नियम 16 के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेज सकती हैं।

लेकिन २०२३ में लाये गए ये नए CFR दिशानिर्देश ग्राम सभा के संस्थागत अधिकार और उसके लोकतांत्रिक शासन ढांचे को कमजोर करके FRA के इन मूल विचारों का ही उल्लंघन करते हैं। एफआरए के तहत जिस सामुदायिक वन संसाधन अधिकार-आधारित प्रबंधन और संरक्षण प्रणाली कि परिकल्पना की गयी हैं , अब मंत्रालय ने उन्हें राज्य सरकार और प्रशासन के हाथों में व्यापक शक्तियों के मनमाने ढंग से निहित होने वाली एक लाभार्थी योजना बना छोड़ा है। ***२०२३ के CFR दिशा निर्देशों में मौज़ूद कानूनी उल्लंघन और चिंताएँ इस प्रकार हैं***:

क. पंचायत सचिव को ग्राम सभा कि बैठकें बुलाने और ऐसी पहली बैठक में CFRMC (सामुदायीक वन संसाधन निगरानी समिती) का गठन करने का शक्ति देना

ख. यह अनिवार्य करना कि CFRMC, वन विभाग की सूक्ष्म योजनाओं के साथ सामुदायिक वन संसाधन के प्रबंध कि योजना (CFRMP) के एकीकरण के लिए वन विभाग के साथ समन्वय करेगा। गौरतलब है कि इसमें २०२३ के दिशा निर्देश वन अधिनियम नियम के 4(1)(f) का संदर्भ देता है। ध्यान दें कि यद्यपि नियम 4(1)(f) CFRMP योजनाओं को वन विभाग की योजनाओं के साथ एकीकृत करने का उल्लेख करता है, लेकिन यह वे ग्राम सभा के निहित अधिकार और निर्णय लेने कि शक्ति के माध्यम से करता है, जिसके तहत CFRMC द्वारा आवश्यक समझे जाने पर ही और सिर्फ उन संशोधनों के साथ ही एकीकरण करने का पूर्ण अधिकार है ।

ग. ग्राम सभा की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा एक अलग जिला स्तरीय CFR निगरानी समिति (DLMC) के गठन का आह्वान।

घ. सीएफआर प्रबंधन योजना के संचालन के लिए ग्राम सभा के नाम पर चालू बैंक खाता खोलने हेतु प्राधिकरण पत्र जारी करने के लिए DLMC (संभवतः वन अधिकारियों सहित अधिकारियों की, जो सबसे बड़ी एफआरए और वनवासी विरोधी ताकत रहे हैं) को सशक्त बनाकर ग्राम सभा के कार्यों में नौकरशाही के हस्तक्षेप का विस्तार करना। यह ग्राम सभा प्रशासन और प्रबंधन के वित्तीय पहलुओं में अनुचित हस्तक्षेप भी करता है जो कि जॉइंट फारेस्ट कमिटी (JFMC) संरचना का पुनः डिजाइन प्रतीत होता है।

इ. ग्राम सभा जिसे संविधान, पैसा क़ानून 1996 और FRA 2006 द्वारा वन और वन संसाधन के शासन कि वैधानिक संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त व स्थापित किया गया है के बजाय २०२३ के दिशा निर्देश,ग्राम सभा को वन प्रबंधन योजना को क्रियान्वित करने वाली एजेंसी कह कर उसके अधिकार सीमित करते है।

च. सामुदायिक वन संसाधन के प्रबंधन और संरक्षण को प्रशासनिक तंत्र की निगरानी में काम करने वाली योजना तक सीमित कर दिया गया है, बजाय इसके कि प्रशासनिक तंत्र, लोकतंत्र के इस बुनियादी संस्थागत ढाँचे जो कि , ग्राम सभा है कि निगरानी में काम करे।

2. 14.03.2024 को जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से , वन अधिकार क़ानून पर दिशानिर्देशों और स्पष्टीकरणों को लेकर जारी की गयी संयुक्त एडवाइजरी ।

वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(1)(i) और धारा 5 के कार्यान्वयन पर २०२४ में जारी किये गए संयुक्त एडवाइजरी में 2023 के उपरोक्त CFR दिशानिर्देशों का उल्लेख है- जिसमे कहा गया है कि वर्किंग प्लान कोड 2023 के अनुरूप, वन विभाग के सहयोग से आदर्श वैज्ञानिक CFR प्रबंधन योजनाएँ विकसित की जाएँगी। (***संलग्न 3***) यह भी सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन और संरक्षण के मामलों में वन विभाग को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है, उन्हें मास्टर प्रशिक्षक के रूप में पदोन्नत करता है और उन्हें यह कार्य भार देता है कि वो ग्राम सभाओं को अपने एजेंडे का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे और यह भी सिफारिश करता है कि CFRMC में वन अधिकारियों को शामिल किया जाए। याद रहे , CFRMC एक वैधानिक संस्थागत ढांचा है जिसका गठन पूरी तरह से ग्राम सभाओं द्वारा और अपने ही बीच से ही किया जाता है [नियम 4(1)(e)]।

यह दूसरी बार है जब जनजातीय मंत्रालय ने वन मंत्रालय के साथ मिलकर एक संयुक्त संचार जारी किया है और भारत सरकार (कार्य आवंटन नियम) 1961 में 2006 के संशोधन के अनुसार अपने अधिदेश 'वन अधिकार' को पूरा करने के लिए अपने बाध्य कर्तव्य और शक्तियों से पीछे हट गया है। 6 जुलाई 2021 को, MoTA ने पर्यावरण मंत्रालय के साथ 'वन अधिकार अधिनियम के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त संचार' पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 'मंत्रालयों और विभागों के बीच अलग-अलग काम करने से लेकर अभिसरण प्राप्त करने तक एक आदर्श बदलाव' की घोषणा की गई थी। (***संलग्न 4***) २०२१ कि इस एडवाइजरी में कहा गया कि "कोई भी मुद्दा/स्पष्टीकरण जो FRA के कार्यान्वयन में बाधा डाल सकता है, उसे केंद्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है ताकि दोनों मंत्रालय इस मामले पर सामूहिक विचार कर सकें - संयुक्त स्पष्टीकरण और दिशानिर्देश जारी कर सकें।" 06.07.2021 की संयुक्त एडवाइजरी ने CFR प्रबंधन योजनाओं की तैयारी, लघु वन उपज के मूल्य श्रृंखला संवर्धन के लिए परियोजनाओं को शुरू करने के संबंध में वन विभाग को व्यापक अधिकार भी दिए। इस एडवाइजरी में यह तक कहा गया है कि जहाँ तक कानून के वैधानिक ढाँचे का सवाल है, इसमें कोई टकराव नहीं है। **इस संबंध में हम निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ देते हैं:**

2.1 केंद्र सरकार द्वारा 2006 में भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में संशोधन करने के बाद जनजातीय मामलों के मंत्रालय को "वन अधिकारों" से संबंधित मामलों पर अधिकार प्रदान करने के लिए एफआरए अधिनियमित किया गया था। जनजातीय मंत्रालय आधिकारिक तौर पर एफआरए क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय बन गया, जिसमें वन अधिकारों पर प्रभाव डालने वाले सभी मामले शामिल हैं।(***संलग्न 5***) जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) FRA और वन अधिकारों से संबंधित स्पष्टीकरण, निर्देश आदि जारी करने का अधिकार रखता है, न कि पर्यावरण मंत्रालय या कोई अन्य मंत्रालय। FRA कि धारा 12 समय-समय पर लिखित रूप में सामान्य या विशेष निर्देश जारी करने के लिए MoTA को सशक्त बनाती है। FRA क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर आदिवासी कल्याण विभाग को नोडल प्रभार सौंपा गया है, जो एफआरए को लागू करने और समय-समय

पर MoTA द्वारा FRA पर जारी किए गए निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए नोडल विभाग है। **इस प्रकार, FRA के मामलों पर संयुक्त जिम्मेदारी के सिद्धांत की घोषणा और उसे अपनाकर, जनजातीय मंत्रालय ने, वास्तव में, कानून का उल्लंघन करते हुए अपनी जिम्मेदारी का परित्याग कर दिया।**

2.2 पर्यावरण मंत्रालय, और उससे जुडी संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) और फारेस्ट सर्वे ऑफ़ इणिडया (FSI) और विभिन्न राज्यों के वन विभाग, अपनी स्थापना के समय से ही वनवासियों को निशाना बनाते रहे है। इन संस्थाओं ने वनों और संरक्षित क्षेत्रों को अधिसूचित करते समय वन कानूनों का सक्रिय रूप से उल्लंघन किया है , वन अधिकारों को मान्यता देने कि प्रक्रिया पूरिननही की और वनों को गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए भी बिना वन अधिकारों को सुनिश्चित किये हस्तांतरित किया है, इन कारणों से और इसी दीर्घकालिक ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए वन अधिकार अधिनियम (FRA) को लागू करना आवश्यक समझा गया था। वन मंत्रालय और उसकी संस्थाएँ, वन अधिकार अधिनियम (FRA) के क्रियान्वयन में अड़चन लगाती रहीं, लगातार इसके कानूनी ढाँचे का उल्लंघन करती रहीं, जिसका खुद जनजातीय मंत्रालय ने 2021 तक नियमित रूप से उल्लेख किया और कार्यवाही भी की , जब तक कि उसने अधीनता स्वीकार करने का निर्णय नहीं ले लिया।

जनजातीय मंत्रालय को इस तथ्य को स्वीकार और दर्ज करना होगा कि वन अधिकार अधिनियम (FRA) के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने, दावा-पश्चात सहायता प्रदान करने और वन क्षेत्र के संरक्षण एवं प्रबंधन की आड़ में पर्यावरण मंत्रालय ने वनवासियों के अधिकारों का हनन किया है, उन्हें बलपूर्वक बेदखल और विस्थापित किया है, और उन्हें अतिक्रमणकारी करार दिया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) इस बात से पूरी तरह अवगत है और उसे 28 जून 2025 को एक सामूहिक ज्ञापन के माध्यम से भी इसकी जानकारी दी गई है। (***संलग्न 6***) वास्तव में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वयं 2 जुलाई 2025 को MoEFCC को एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर ISFR की रिपोर्टिंग और केंद्रीय मंत्री द्वारा मीडिया में दिए गए उस बयान पर स्पष्टीकरण माँगा है जिसमें वन क्षरण के लिए FRA को एक कारण बताया गया है। (***संलग्न 7***)

2.3 वन विभाग के अधिकारियों की भूमिका FRA में पहले से ही परिभाषित है, उनके प्रतिनिधि एसडीएलसी, डीएलसी और एसएलएमसी की वैधानिक समितियों का हिस्सा हैं। वन अधिकारियों को इसके अतिरिक्त कोई और शक्ति प्रदान करना ,वन अधिकार कानून के उद्देश्य और कानों में लिखे शब्द का उल्लंघन है। वन विभाग के पास एफआरए के मामलों पर परिपत्र और आदेश जारी करने, सीएफआर क्षेत्रों या किसी अन्य वन भूमि पर गतिविधियों जहां किसी भी वनवासी को एफआरए के तहत अधिकार हैं को प्रतिबंधित करने कि कोई शक्ति नहीं है । ऐसा करना, एफआरए के तहत एक अपराध है। फिर भी क़ानून के उल्लंघन में विभाग द्वारा कई आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें से कुछ को व्यापक निंदा और अवैधता के बीच वापस लिया गया है। वन और संरक्षित क्षेत्रों की अधिसूचना और वनों का हस्तांतरण एफआरए का अनुपालन किए बिना बेरोकटोक जारी है, और इसपर कार्यवाही करने कि बजाय जनजातीय मंत्रालय चुप्पी साधे दर्शक बना खड़ा है

2.4 इन सीएफआर दिशानिर्देशों और संयुक्त एडवाइजरी ने जमीनी स्तर पर वन अधिकारों के संघर्ष को और बढ़ा दिया है और वन विभाग को FRA के कार्यान्वयन में बाधा डालने और ग्राम सभा के अधिकार कि अवेहलना करने के लिए बल दिया है । इसका ताजा उदहारण हैं छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा 15.05.2025 को जारी किया गया पत्र जिसमें विभाग ने खुद को सीएफआर अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होने का दावा किया। (***संलग्न 8***) सीएफआर प्रबंधन के संबंध में जनजातीय मंत्रालय और वन मंत्रालय द्वारा जारी 14.03.2024 दिनांकित संयुक्त एडवाइजरी का हवाला देते हुए, वन विभाग ने कहा कि सीएफआर के प्रबंधन के लिए MoTA से मॉडल सीएफआरएमपी/माइक्रो-प्लान अपेक्षित है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, कोई भी अन्य सरकारी विभाग और निजी एजेंसियां, उन वन भूमि पर जहां सीएफआर अधिकारों को मान्यता दी गई है कोई गतिविधि या काम नहीं कर सकती हैं , और राज्य की संपूर्ण वन भूमि/क्षेत्र में, कैन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित वर्किंग प्लान कोड 2023 के अलावा कोई योजना लागू नहीं की जा सकती है। वर्तमान में, राष्ट्रीय वर्किंग प्लान कोड 2023 के अनुसार कार्य योजना के प्रावधान संपूर्ण अधिसूचित वनों में प्रभावी हैं, तथा वन विभाग इसके अनुरूप गतिविधियां संचालित कर रहा है।

बाद में वन अधिकार समूहों और ग्राम सभाओं के विरोध के कारण छत्तीसगढ़ वन विभाग ने आदेश को स्थगित किया, लेकिन MoTA पर यह जिम्मेदारी डाल दी कि उन्हें मॉडल सीएफआरएमपी योजनाएं, वन विभाग की भूमिका पर स्पष्टीकरण और इसके लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके कारण वन विभाग ने पत्र जारी किए, जिससे समुदायों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई।

3. PM DAJGUA मिशन के तहत FRA संबंधित गतिविधियों के लिए समेकित दिशानिर्देश सितंबर 2024 को जारी किए गए और इससे जुड़े अन्य हस्तक्षेप

भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA JGUA)' का एक प्रमुख भाग है वन अधिकार अधिनियम का अतिश्रीघता भरा क्रियान्वयन। इस संपूर्ण मिशन ने वन अधिकार अधिनियम को एक लाभार्थी योजना में बदल दिया है। साथ ही लोकतांत्रिक शासन, वन एवं संसाधनों के प्रबंधन एवं संरक्षण के ढाँचे को एक तकनीकी-प्रबंधकीय और प्रशानिक प्रक्रिया में तब्दील कर दिया है, जहाँ FRA सेल्स और अन्य जैसी ऐसी संस्थागत संरचनाओं, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ, डिजिटलीकरण और नागरिक समाज संगठनों (CSO) तथा वन विभागों शामिल हैं, का

निर्माण करके ग्राम सभा की शक्तियों को दरकिनार कर दिया गया ह। DA JGUA इन नए संस्थागत ढांचों को ग्राम सभा, जो कानून के तहत वैधानिक प्राधिकरण है, की तुलना में अधिक संस्थागत वैधता प्रदान कर रहा है।

इस मिशन के तहत , जनजातीय विभाग यह तय करेगा कि सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना कि तैयारी और क्रियान्वयन में ग्राम सभा की 'सहायता' के लिए तकनीकी साझेदार कौन होंगे। सितंबर 2024 में इसी मिशन से जुड़े अधिसूचित समेकित दिशानिर्देशों में अनुलग्नक IV के रूप में सीएफआर प्रबंधन योजना, जो कि सांकेतिक है और जिसे राज्य स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर संशोधन कर सकते हैं, का एक ढांचा प्रदान किया गया था। DA JGUA के तहत सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण का संपूर्ण दायरा और परिकल्पना को " CFR प्रबंधन योजना की तैयारी" और "बाहरी सहायता" पर केंद्रित कर दिया है - और इसे निम्नलिखित दो पहलुओं द्वारा आकार दिया गया है:-

i. MoTA द्वारा सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत उपयोग के लिए 12.09.2023 २०२३ को जारी किये गए दिशानिर्देश
ii. 14.03.2024 को जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से , वन अधिकार क़ानून पर दिशानिर्देशों और स्पष्टीकरणों को लेकर जारी की गयी संयुक्त एडवाइजरी ।

इन दोनों दिशानिर्देशों के बारे में ऊपर बताए गए कानूनी तथ्य और चिंताएँ, इन दिशानिर्देशों को प्राथमिकता के साथ रद्द करना और भी ज़रूरी बना देती हैं, क्योंकि यह दूनी ही पूर्ण रूप से वन अधिकार अधिनियम (FRA) का उल्लंघन करती हैं और क़ानून को कमजोर बनाती हैं। यदि समय रहते DA JGUA , जो सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के क्रियान्वयन को "मिशन मोड" में लागू करने का प्रस्ताव देता है, को रोका और सुधारा नहीं गया, तो इससे उन अन्यायों को बढ़ावा मिलेगा जिन्हें दूर करने के लक्ष्य के साथ वन अधिकार क़ानून सदन द्वारा अधिसूचित किया गया है।

यह तथ्य कि वन विभाग ने अपनी स्थापना के बाद से भारत के सभी भौगोलिक क्षेत्रों और भारतीय वन कानूनों और नीतियों के सम्पूर्ण इतिहास काल में वन आश्रित समुदायों और आदिवासियों के अधिकारों का प्रबल ढंग से , लगातार , और स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है, अच्छी तरह से ज्ञात, प्रलेखित और स्थापित है। यह भी एक स्थापित तथ्य है कि पर्यावरण मंत्रालय ने एफआरए को निरंतर ध्वंस करने का प्रयास किया और वन अधिकार विरोधी हस्तक्षेप किये हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने आज तक भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 (WLPA) और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (FCA) को वन अधिकार क़ानून के अनुपालन में संशोधित कर ठीक नहीं किया है, और निरंतर FRA जिस समय से 2006 में कानून पर चर्चा हुई और अधिनियमित किया गया था से लेकर आज तक उसके के विरोध में कदम लिए हैं। FRA और वन आश्रित समुदायों के प्रति यह विरोध व्ए विध्वंसी भावना पर्यावरण मंत्रालय और वन विभाग के हस्तक्षेपों में स्पष्ट है और खुद वन अधिकार क़ानून की प्रस्तावना ऐतिहासिक अन्याय कि बात करते हुए इसे स्पष्ट रूप से स्थापित करती है। इसलिए यह अत्यंत गैर-ज़िम्मेदाराना, अविवेकपूर्ण और निराशाजनक है कि नोडल मंत्रालय (MoTA) कानून द्वारा पहले से निर्धारित वैधानिक अधिदेश से परे वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में पर्यावरण मंत्रालय और वन विभाग कि भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उनके समक्ष झुक हैं ।

उपरोक्त उल्लंघनों और चिंताओं के मद्देनजर, हम मांग करते हैं कि जनजातीय कार्य मंत्रालय: -

- 12 सितंबर 2023 के अपने CFR दिशानिर्देशों, जो ग्राम सभा कि शक्तियों को दरकिनार करते हैं, वन विभाग कि भूमिका को बढ़ावा देते हैं और समुदाय के नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक संरक्षण के विचार को निष्प्रभावी करते हैं, को रद्द करते हुए वापस ले, और 2015 सीएफआर दिशानिर्देशों को पुनः स्थापित करे।

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर दिनांक 14.03.2024 को जारी किये संयुक्त एडवाइजरी को प्राथमिकता के साथ रद्द करते हुए वापस लें।

- अपने नोडल प्राधिकार का दावा करें और राज्य सरकारों को स्पष्ट रूप से निर्देश दें कि वन अधिकार अधिनियम से संबंधित कोई भी मुद्दा/स्पष्टीकरण या वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करने वाले मुद्दों को सिर्फ जनजातीय मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए क्योंकि वन अधिकार व्वि उससे जुड़े षय-वस्तु पर एकमात्र प्राधिकार वही है।

- यह सुनिश्चित करें कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और उससे संबद्ध संस्थाओं जैसे एनटीसीए, एफएसआई और वन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय की जाए और अधिकारों का उल्लंघन जारी न रहने दिया जाए। इस बाबत 28.06.2025 को वन अधिकार संगठनों के भेजे गए पत्र पर कार्यवाही कि जानी चाहिए .

- सभी राज्य सरकारों, संबंधित विभागों और संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दें कि ग्राम सभा वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक प्राधिकारी है और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार क्षेत्रों के शासन, प्रबंधन और संरक्षण के लिए प्राधिकारी है।

धन्यवाद ।

प्रतिलिपी:

१. डॉयरेक्टर, वन अधिकार क़ानून डिवीजन - जनजातीय मंत्रालय (MoTA)

[अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: - 8217226256, 9843172584]

हस्ताक्षरकर्ता:

1. **Campaign for Survival and Dignity- CSD (इज्जत से जीने का अधिकार अभियान)**
2. Adivasi Adhikar Rashtriya Manch, CPI(M), India
3. Adivasi Bharat Mahasabha, CPI (ML) (Red Star), India
4. Adivasi Sangarsh Morcha, CPI (L)
5. Akhil Bharatiya Mazdoor Kisan Sangharsh Samiti, India
6. Akhil Bhartiya Adivasi Mahasabha (CPI), India
7. All India Forum of Forest Movements- AIFFM, India
8. Bharat Jan Andolan
9. Community Network Against Protected Areas (CNAPA), India
10. Gondwana Ganatantra Party, (Tuleswar Markaam- National President)
11. Jan Swasthya Abhiyan India
12. Movement for Advancing Understanding of Sustainability And Mutuality (MAUSAM)
13. mines, minerals & People (mmP), India
14. National Adivasi Alliance, India
15. National Alliance for Peace and Justice
16. Aadim Adhivasi Mukti Manch, Nayagarh, Odisha
17. Achankamar Tiger Reserve Sangarsh Samiti, Chattisgarh
18. Adivasi Adhikar Sangh, Katni (Bharat Namdev), M.P.
19. Adivasi Chetana Sangathan, Dhenkanal, Odisha.
20. Adivasi Jan Van Adhikar Manch, Chhatisgarh

21 Adivasi Kranti Sangathan, Odisha

22 Adivasi Mahasabha Gujarat

23 Adivasi Mahila Mahasangh, Jashpur, Chattisgarh
24 Adivasi Mukti Sangathan, Dhenkanal, Odisha.
25 Adivasi Mukti Sangathan, MP
26 Adivasi Sakti Sangathan, Chhattisgarh
27 Adivasi Youvajana Chytanya Sangham
28 Ambedkar Foundation, Hazaribagh Block katkamsandi, Jharkhand
29 Baiga Janjati Mahasangh M.P. (Ravi Baga)
30 Baiga Sakti Sangathan, Achanakmar, Chhattisgarh
31 Bargi Dam Displaced and Affected Association, Madhya Pradesh
32 Basniya Dam Project, Farmers' Struggle Front, Mandla, M.P. (Bazari Sarvate)
33 Bhumi Adhikar Sangathan, Orissa
34 Bisra Munda Adivasi Sangharsh Manch, Keonjhar, Odisha
35 Bundelkhand Majdoor Kisaan Shakti Sangathan, Tendukheda, MP.
36 Camapaign for Survival and Dignity Orissa- CSD Orissa
37 Centre for Organisation Research and Education (CORE)
38 Centre for People's Forestry, AP
39 Centre for Social Knowledge and Action, Gujarat.
40 Chhatisgarh Kisan Sabha Korba
41 Chhattisgarh Forest Rights Forum, Chhattisgarh
42 Chutka Anti-Nuclear Struggle Committee, Madhya Pradesh
43 Citizen Rights Forum, Jabalpur (Shiv Kumar)
44 Dalit Adivasi Manch , Chattishgarh
45 Food Sovereignty Alliance
46 Gondwana Gond Mahasabha, Chhattisgarh
47 Gram Sabha Baku Village, Simlipal, Odisha
48 Gram Sabha Federation, Sitanadi, Gariabandh, Chhattisgarh
49 Gram Sabha Federation, Udanti, Dhamtari, Chhattisgarh
50 Gram sabha Sangh, Bastar, Chhatisgarh
51 Gram Sabha, Bharadachua Village, Simlipal, Odisha
52 Gram Sabha, Karadikallu Atturu Koli Hadi, Nagarhole, Karnataka
53 Gram Vikas Adivasi Organization, Mohender Panna M.P. (Nabi Khan)
54 Greater Kaziranga Land and Human Rights Committee, Kaziranga, Assam
55 Hamara Adhikaar Campaign, Rewa M.P. (Jagdish Yadav)
56 Himalaya Niti Abhiyan, Himachal Pradesh
57 Himdhara Collective, Himachal Pradesh
58 Hum Kisan Sangathan, Rajasthan
59 Human Rights Defenders Alert , Bangalore
60 Human Rights Forum (Poonaram Bhai) Seoni, M.P.
61 Jal Jangal Jameen Sajha Manch, M.P. (Gajanand Brahmane)
62 Jami Jangal Mukti Andolan, Nuapada, Odisha
63 Jan Sangharsh Morcha Mahakoshal, M.P. (Vivek Pawar)
64 Jangal Adhikar Sahayata Samiti, Kaalahandi, Odisha
65 Janmukti Sangarsh Vahini, Bihar
66 Jharkhand Janadhikar Mahasabha, Jharkhand
67 Joint Land Struggle Action Committee, Assam
68 Jungal Jameen Jan Andolan, South Rajasthan
69 Jungle Jeevan Bachao Samiti, Chhattisgarh
70 Jy Jangubayi Adivasi Mahila Sangham
71 Kashtakari Sanghatana, Maharashtra
72 Kendriya Jan Sangharsh Samiti, Latehar-Gumla, Jharkhand

73 Kendriya Sangharsh Samiti, Palamu, Jharkhand
74 Khedut Mazdoor Chetna Sangathan
75 Khetihar Khan Mazdoor Sangathan, Rajasthan
76 Koitur Gondwana Mahasabha, Seoni, Madhya pradesh
77 Lok Mukti Sangathan, Jhasugarda, Odissa
78 Maa Mati Suraksha Samiti, Similipal, Mayurbhanj, Odisha
79 Mahakoshal Sajha Janpahal, M.P.
80 Mahhila Kisan Adhikar Manch Pithoragarh, Uttarkhand
81 Malygiri Adivasi Sangharsh Manch, Angul, Odisha.
82 Milit Adivasi Samaj, Jharsuguda, Orissa
83 Moolnivasi Hitkari Sangathan, Nayagarh, Odishsa
84 Nagarahole Adivasi Jammapale Hakku Sthapana Samithi, Nagarahole, Karnataka
85 New Wind Association, Turku, Finland
86 People for Himalayan Development (PHD), Himachal Pradesh
87 PESA Committee & Forest Rights Committee, Padmaram Gram Panchayat, Appapuram, Telangana
88 PESA Committee & Forest Rights Committee, Padmaram Gram Panchayat, Pulitheegalabanda, Telangana
89 Prakriti Seva Sansthan, Madhya Pradesh (Pritam Das Khairwar, Rajendra Saiyam)
90 Raghavpur Power Project, Farmers' Struggle Front, Dindori, M.P. (Omkar Tilgam)
91 Roodhi Pratha Adivasi Paramparik Gram Sabha, Madhya Pradesh (Mahendra Singh Paraste - District Coordinator)
92 Sahariya Jangabndhan Sajag (Rambati Sahariya Kolaras) Shivpuri, M.P.
93 Samata, Andhra Pradesh
94 Sarvahara Jan Andolan, Raigad, Maharashtra
95 Sarv Aadivaasi Samaaj Sangathan Dindori, Madhya Pradesh
96 Sarv Aadivaasi Samaaj Sangathan Mandla, Madhya Pradesh
97 Sathyashodhaka Sangham
98 Save Lahaul Spitti Society Keylong, Himachal Pradesh
99 Search for Action and Knowledge of Tribal Initiative, Telangana
100 Similipal Adivasi Sangharsh Manch, Mayurbhanj, Odisha.
101 St and SC Action , Jharsuguda, Orissa
102 Sundarbans Jana Sramajibi Mancha, Sundarbans, West Bengal
103 Tharu Adivasi Mahila Mazdoor Kisan Manch, Dudhwa, Uttar Pradesh
104 Toko, Roko, Thoko Krantikaari Morcha , Seedhi, Madhya Pradesh
105 Upper Namrada Project, Farmers' Struggle Front, Anuppur, Dindori, M.P. (Kamal Patta)
106 Uttarbangal Van-Jan Shramajibi Manch, West Bengal
107 Van Adhikar and Gramin Vikas Sangathan (Himachal Pradesh)
108 Van Adhikar Manch Latehar, Jharkhand
109 Van Gujjar Tribal Yuva Sangathan, Uttarakhand
110 Van Panchayat Sangarsh Morcha, Uttarakhand
111 Van Sanrakshan Sangrami Mancha, Chandubi, Assam
112 Vananchal Forest Rights Federation, Chhattisgarh
113 Visthapit Mukti Vahini, Jharkhand
114 Vivasayigal Thozhilalargal Munnetra Sangam, Tamil Nadu
115 West Bengal Jana Sramajibi Mancha, West Bengal
116 Youth for Himalaya, Himalayan region
117 ZAYAS M.P. (Shyam Kumari Dhurve)
118 Zila Kisaan Sangha, Raajnaadgaanv, Chaatisgarh
119 Zindabaad Sangathan , Balangir, Odissa

120 Amulya Nidhi, National Convenor Jan Swasthya Abhiyan, India
121 Aruna Rodrigues
122 B.Girija Devi
123 Birendra Kumar
124 Chenchu Vedhika,Nallamala area, Nagar Kurnool, Andhra Pradesh
125 Firoz Ahmad
126 J. Suguna (Adivasi Chaithnya Sangam), Alluri sitharamaraju ,Andra Pradesh (AP)
127 K. Mohan Raj
128 M.Maruthu Pandi
129 Madhu Bhaduri
130 Maharajan
131 Moncy M Thomas (Library professional)
132 Narayanan Kaliyodath
133 Nitin Rai, Independent Researcher
134 Om Prakash Singh, Individual Researcher, Odisha
135 Oota Chellima, Nagar Kurnool district
136 Pradyumna Behera, Researcher, Odisha
137 Prem Chand , Sissu village, Distt. Lahaul &Spiti (HP)
138 Puja, Lawyer, India
139 Rahul Shrivastva , Advocate, Jabalpur, Madhya Pradesh
140 Ravi Rebbapragada
141 Renuka Kad
142 Rohini Hensman, Writer and Independent scholar
143 Sagari R Ramdas
144 Satyarupa Shekhar, Independent
145 Shiv Prasad Singh,Bagaicha, Ranchi
146 Soumya Dutta, MAUSAM,
147 Suhasini Mulay, Actor and Documentary Filmmaker, Mumbai
148 Sunil Caleb
149 Tushar Dash, Independent Researcher
150 Ulka Mahajan, Raigad Maharashtra
151 Veerakota Rambabu
152 Viren Lobo (ABMKSS)
153 Madakam. Sunitha (Adivasi Mahila Sangam), Eluru, Andhra Pradesh

संलग्न 1: Guidelines for Conservation, Management and Sustainable use of Community Forest Resources* by *MoTA on 12.09.2023

No. 23011/09/2016-FRA
Government of India
Ministry of Tribal Affairs
(FRA Division)

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 12.09.2023

To

1. The Chief Secretaries of all State Governments
2. The Administrators of all Union Territories
3. Principal Secretaries/ Secretaries in-charge of Tribal Development Department (All States / UTs)
4. Principal Secretaries/ Secretaries in-charge of Forest Department (All States / UTs)

Sub: Guidelines for Conservation, Management and Sustainable use of Community Forest Resources (CFR).

The undersigned is directed to enclose herewith a copy of the guidelines **for Conservation, Management and Sustainable use of Community Forest Resources**.

2. This is in supersession of previous guidelines of CFR management.

3. This has the approval of Competent Authority.

Yours faithfully,

(Nadeem Ahmad)
Under Secretary to the Government of India

Encl: As above.

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change
2. Secretary, Ministry of Panchayati Raj
3. Secretary, Department of Land Resources, Ministry of Rural Development.

Copy forwarded for information to:

i. PS to Hon'ble Minister of Tribal Affairs
ii. PS to Hon'ble MoSTA (RS)
iii. PS to Hon'ble MoSTA (BT)
iv. PPS to Secretary (TA) / PS to Joint Secretary (NJK)

संलग्न 2: Guidelines regarding recognition of CFR and CFR management issued by MoTA as a statutory direction under Sec. 12 of FRA, on 23.04.2015

No. 23011/16/2015-FRA
Government of India
Ministry of Tribal Affairs
(FRA Division)

R.No. F-280, August Kranti Bhawan,
Bhikaji Cama Place, New Delhi
Dated: 23rd April, 2015

To

The Chief Secretaries of all State Governments

Sub: **Guidelines under Section 12 with regard to recognition and vesting of Community Forest Resource (CFR) and its management under Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA)**

The undersigned is directed to state that the Ministry of Tribal Affairs has in numerous occasions conveyed the importance of recognition and vesting of CFR rights under FRA. While some States have made efforts to recognise the community and CFR rights, the State Governments need to make further efforts to recognise the CFR rights which is still slow in a number of States for all potential forest land where such traditional rights exist and claims have been pending.

2. In view of the above, Ministry of Tribal Affairs issues the present guidelines pertaining to recognition of CFR rights and their subsequent management.

i. As per Section 3(1) (i) and Section 5 of FRA, the authority to protect, regenerate or conserve or manage CFRs, is the Gram Sabha along with the committee for protection of wildlife, forest and biodiversity constituted under FR Rule 4(1)(e). The meaning of Gram Sabha shall be as defined in Section 2(g) and section 2(p) of the FRA.

ii. Each Gram Sabha shall be free to develop its own simple format for conservation and management plan of the CFR which its members can understand with ease and may also comprise of the rules and regulations governing forest access, use and conservation.

iii. The Gram Sabha and the Committee under FR rule 4(1)(e) shall be the authority to modify the micro plan or working plan or management plan of the Forest

संलग्न3: Joint advisory issued by MoTA and MoEFCC on 14.03.2024 to reproduce a consolidated set of guidelines and clarifications on FRA.

Government of India

Leena Nandan,
Secretary,
Ministry of Environment,
Forest and Climate Change

Vibhu Nayar,
Secretary,
Ministry of Tribal Affairs

D.O. No. 4-4/2020-FP

Dated: 14th March, 2024

Dear Chief Secretary,

The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, commonly known as the Forest Rights Act (FRA), recognizes and vests the forest rights and occupation on forest land among Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers, who have been residing in such forests for generations, but whose rights could not be recorded. For effective implementation of FRA 2006, the Ministry of Tribal Affairs (MoTA) including Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) have issued guidelines and advisories to States/ UTs from time to time.

2. The Government of India have been inviting the attention of State Tribal Welfare Departments, State Forest Departments and Tribal Development Corporations to provide all necessary facilitation, post claim support and hand-holding to holders of forest rights and to initiate specific projects and schemes for enhancing their livelihoods. The States have also been requested to coordinate with all relevant departments to ensure holistic socioeconomic development of the forest right holders.

3. However, it has come to the notice of the Government of India that still, issues are arising in States, in providing post claim support and hand holding to the holders of forest rights, including benefits under housing, agricultural and livelihood schemes etc. The Government of India has issued detailed guidelines in this regard. However, it is felt necessary to reiterate these guidelines for creating awareness and to the benefit of the field functionaries.

4. Accordingly, a consolidated set of guidelines and clarifications for proper implementation of the FRA 2006 by the State and UT Governments is reproduced as follows:

संलग्न 4: Joint Advisory issued by MoTA and MoEFCC on 06.07.2021 on matters of FRA

Government of India

R. P. Gupta,
Secretary,
Ministry of Environment,
Forest and Climate Change

Anil Kumar Jha,
Secretary,
Ministry of Tribal Affairs

D.O. No.23011/25/2021-FRA

6th July, 2021

Dear Chief Secretary,

As you are aware, the Forest Dwelling Scheduled Tribes (FDSTs) and Other Traditional Forest Dwellers (OTFDs) inhabiting forests for generations were in occupation of the forest land for centuries. Forests are the source of their livelihood, identity, customs and traditions. However, their rights on their ancestral lands and their habitats had not been adequately recognized despite them being integral to the very survival and sustainability of the forest eco-system. The traditional rights and interests of FDSTs and OTFDs on forest lands were left unrecognized and unrecorded during consolidation of State forests in the past.

2. Insecurity of tenure and fear of eviction from the lands where they had lived and thrived for generations were the biggest reasons why tribal communities felt emotionally as well as physically alienated from forests and forest lands. This historical injustice needed correction and, therefore, the Government enacted the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, which is commonly known as Forest Rights Act (FRA). It is an Act to recognize and vest the forest rights and occupation in forest land in FDSTs and OTFDs who have been residing in such forests for generations but whose rights could not be recorded; to provide for a framework for recording the forest rights so vested and the nature of evidence required for such recognition and vesting in respect of forest land. The Act came into operation with the notification of Rules on 01.01.2008 for carrying out the provisions of the Act.

संलग्न5: Amendments introduced in 2006, to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 giving powers to the Ministry of Tribal Affairs to deal with matters related to forest rights.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
(JANJATIYA KARYA MANTRALAYA)

1. Social security and social insurance with respect to the Scheduled Tribes.

2. Tribal Welfare : Tribal welfare planning, project formulation, research, evaluation, statistics and training.

3. Promotion and development of voluntary efforts on tribal welfare.

4. Scheduled Tribes, including scholarship to students belonging to such tribes.

5. Development of Scheduled Tribes.

5A. All matters including legislation relating to the rights of forest dwelling Scheduled Tribes on forest lands.[1]

NOTE:-The Ministry of Tribal Affairs shall be the nodal Ministry for overall policy, planning and coordination of programmes of development for the Scheduled Tribes. In regard to sectoral programmes and schemes of development of these communities policy, planning, monitoring, evaluation etc. as also their coordination will be the responsibility of the concerned Central Ministries/ Departments, State Governments and Union Territory Administrations. Each Central Ministry/Department will be the nodal Ministry or Department concerning its sector.

6. (a) Scheduled Areas;[2]

   (b) regulations framed by the Governors of States for Scheduled Areas.

7. (a) Commission to report on the administration of Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes; and

   (b) issue of directions regarding the drawing up and execution of schemes essential for the welfare of the Scheduled Tribes in any State.

संलग्न 6: Submission by Forest Rights Groups and Civil Society Groups to the MOTA against the subversion of FRA by Ministry of Environment dated 28.06.2025

Submission against subversion of FRA by Ministry of Environment, Forest & Climate Change

To **Date: 28.06.2025**
Principal Secretary,
Ministry of Tribal Affairs (MoTA)

To
Joint Secretary,
Ministry of Tribal Affairs (MoTA)

To,
Director- FRA Division- MoTA,
Ministry of Tribal Affairs (MoTA)
New Delhi

Subject: Consistent Subversion of the Forest Rights Act of 2006 by the Ministry of Environment Forest and Climate Change through its executive interventions: Call for priority intervention to safeguard the constitutional and statutory rights of millions of forest dwellers and Adivasis.

Sir,

We draw your attention to a matter demanding priority intervention. Mr Bhupender Yadav, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Ministry (MoEFCC), in a statement published in Hindustan times (Access here) on June 5, 2025 cited titles given under forest rights act as a reason for forest degradation. This statement is totally false and misleading; it is legally untenable and is an attempt to subvert the legitimacy of Forest Rights Act (FRA), 2006 enacted by the Parliament. This statement is part of a consistent series of subversions by the MoEFCC. As a result, FRA implementation has been dragging on stiffly resisted and disrupted by the forest bureaucracy as well as the environment ministry, for the last 16 years. Amongst **the numerous critical anti-FRA interventions, five critical interventions of the MoEFCC that attempts to subvert FRA illegally are highlighted below:**

1. **Statement of the Union Environment Minister Bhupendra Yadav dated June 5.2025**

The Union Environment Minister Bhupendra Yadav answering a question on loss of forest and its degradation in a recent media interview reportedly stated, "*Although there is a net increase in dense forests in the country, there are areas where the dense prime forests have been affected with degradation. This may be due to encroachment, illicit felling and in northeast region, due to shifting cultivation. And to a lesser degree, due to unregulated grazing, natural causes like storms and landslides, and also titles given under Forest Rights Act (FRA) 2006. This may be addressed by taking up stringent protection measures added with effective community involvement, and also by regulating shifting cultivation in case of northeastern region.*" (Access here)

The Minster's response attributing the loss of forest to FRA titles given to Adivasi and forest dwellers has no legal basis and evidence, and is highly irresponsible and misleading. The statement is contrary to the fact that the MoEFCC in 2009 itself, in its own country report to the FAO stated that FRA '*assigned rights to protect around 40 million hectares of community forest resources to village level democratic institutions. The fine tuning of other forest-related legislations is needed with respect to the said Act.*'

संलग्न 7: Ministry of Tribal Affairs issues an OM regarding the India State of Forest Report and Environment Minister's anti-FRA statements in media.

F. No. 23011/16/2021-FRA (E- 19671)
Government of India
Ministry of Tribal Affairs
FRA Division
****

Gate No. 2, Ground Floor
Jeevan Tara Building, Sansad Marg
Patel Chowk, New Delhi-110001
Dated: 02.07.2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Regarding the India State of Forest Report-2023 and concerning related information about the Forest Rights Act, 2006.

Please refer to Volume I of the India State of Forest Report's, Chapter 2 titled "Forest and Tree Cover" in the subhead 2.11, and further to the news report published by Hindustan Times on 05.06.2025 (as enclosed).

2. It is pertinent to note that the Forest Rights Act (FRA) was enacted to recognize and vest forest rights in legitimate claimants who were present in forest areas before December 13, 2005. Furthermore, FRA does not deal with the regularization of encroachments. Instead, it acknowledges pre-existing rights that are already being exercised by eligible individuals and communities dwelling in forest areas, including national parks and sanctuaries as stated in the Preamble of the Act. Beyond securing the tenure of the existing forest dwellers, FRA does not create any new rights that could potentially affect the ecological balance within protected areas.

3. The ISFR 2023 indicates that of the several factors, negative change is also associated with the "Titles given to beneficiaries under the Forest Rights Act (2006)." Therefore, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) is requested to provide a detailed scientific analysis to support this claim with valid instances through ground truthing as the report mentions. Without adequate scientific evidence reporting that vesting of FRA Rights to Tribal Communities is causing degradation of forests, may reinforce stereotypes amongst the State Governments including District Administrations and Forest Administration, that could undermine the rights vested under the Act, as well as the effectiveness of the implementation Act.

Encl: As above

(Arvind Mudgal)
Under Secretary to Govt. of India
Tel: 011-23340466
Email: arvind.mudgal70@nic.in

To,
Secretary
Ministry of Environment, Forest & Climate Change

संलग्न 8: ***Chhattisgarh Forest department issued a letter on 15.05.2025 claiming itself to be the nodal agency for implementation of CFR rights.***

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़ अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर
(प्रभाग–संयुक्त वन प्रबंधन)

दूरभाषः 0771 – 2512828 E-mail: apccf_jfm@rediffmail.com

क्रमांक/सं.व.प्र./विविध/417 दिनांक 15/5/2025

प्रति,

1. समस्त वनमण्डलाधिकारी
2. समस्त संचालक/उप निदेशक (वन्यप्राणी)
   छत्तीसगढ़

विषयः– सामुदायिक वन संसाधन के क्षेत्र में संरक्षण एवं प्रबंधन के संबंध में दिशा–निर्देश।

संदर्भः– 1. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र. 23011/09/2016– FRA दिनांक 12.09.2023।
2. छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्र./278/528/2021/25-2, दिनांक 01.03.2024।

–:00:–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र क्र. 01 के माध्यम से भारत सरकार ने CFR के प्रबंधन के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किया है। जिसके परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर ने संदर्भित पत्र क्रमांक 02 के द्वारा समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त ग्राम सभाओं में उक्त दिशा–निर्देश अनुसार सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति (CFRMC) के गठन के साथ ही सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना (CFRMP) तैयार करने सहित अन्य कार्यवाही हेतु लेख किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन के आदेश क्रमांक 1008/1186/2020/1/5 दिनांक 28.05.2020 के तहत **सामुदायिक वन संसाधन (CFRR) अधिकारों** के मान्यता प्रदान करने संबंधी कार्य को गति देने हेतु राज्य शासन ने वन विभाग को नोडल विभाग का दायित्व सौंपा है।

विदित हो कि छत्तीसगढ़ राज्य में वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत 478641 प्रकरणों में 382055.889 हेक्टेयर वनभूमि तथा CFRR के तहत 4349 प्रकरणों में 20062.24 वर्ग कि.मी. वनभूमि पर अधिकार पत्र प्रदाय किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने CFRR के उचित प्रबंधन के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किया है।

क्रमशः 02